राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

वैशाख 13, बुधवार, शाके 1928–मई 3, 2006
Vaisakha 13, Wednesday, Saka 1928–May 3, 2006

सत्यमेव जयते

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 3, 2006

संख्या प.2 (7) विधि/2/2006.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 2006 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006
(2006 का अधिनियम सं. 13)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 2006 को प्राप्त हुई)

सम्पति के विरूपण के निवारण के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका प्रसार राजस्थान राज्य के नगरपालिक क्षेत्रों में होगा।

(3) यह 17 जनवरी, 2006 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "विरूपण" के अन्तर्गत स्वरूप या सौन्दर्य का ह्रास करना या उसमें हस्तक्षेप करना, जिस किसी भी प्रकार से नुकसान

(ख) "नगरपालिका" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) में समनुदिष्ट किया गया है;

(ग) "सम्पत्ति" के अन्तर्गत कोई भी भवन, झोंपड़ी, मूर्ति, जल पाइप/लाइन, लोक सड़क, संरचना, प्रांगणभित्ति सहित दीवार, पेड़, बाड़, खम्भा, बल्ली या कोई भी अन्य परिनिर्माण है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये;

(घ) "लोक स्थान" से (सड़क, गली या मार्ग, जो चाहे आम रास्ता हो या नहीं, और किसी उतराई के स्थान को सम्मिलित करते हुए) कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिस पर जनता की पहुंच है या आश्रय लेने का अधिकार है या जिस पर से उसे गुजरने का अधिकार है;

(ङ) "लोक दृश्य" से ऐसी कोई भी वस्तु अभिप्रेत है जो जनता को उसके किसी भी लोक स्थान पर रहते या उससे गुजरते समय दृश्यमान हो; और

(च) "लेखन" के अन्तर्गत स्टेंसिल द्वारा किया गया अलंकरण, अक्षरांकन, सजावट इत्यादि है।

3. सम्पत्ति के विरूपण के लिए शास्ति.—(1) जो कोई भी किसी भी लोक दृश्यान्तर्गत आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करके या उस पर थूक कर या पेशाब करके, या पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि चिपका करके या ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम और पता उपदर्शित करने के प्रयोजन के सिवाय स्याही, चाक, रंग या किसी भी अन्य सामग्री या रीति से लिखकर या चिह्नित करके विरूपित करता है, वह, प्रथम अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी अपराध किसी अन्य व्यक्ति या किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम (चाहे वह निगमित हो या नहीं) के फायदे के लिए है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति और प्रत्येक अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, एजेन्ट या, यथास्थिति, उसके प्रबंध मण्डल से संबंधित कोई भी अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दे कि अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा।

4. अपराध करने के प्रयत्न के लिए दण्ड.—जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध करने का प्रयत्न करता है या ऐसा अपराध कारित करवाता है और ऐसे प्रयत्न में अपराध के किये जाने के लिए कोई भी कार्य करता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

5. दुष्प्रेरक के लिए दण्ड.—कोई भी व्यक्ति, जो धन की पूर्ति या याचना करके, परिसर उपलब्ध करवाकर, सामग्री का प्रदाय करके या जिस किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने को उपाप्त करता है, उसमें परामर्श देता है, सहायक होता है, दुष्प्रेरित करता है या उपसाधक होता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

6. अपराध का संज्ञेय होना.—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

7. लेखन आदि को मिटाने की शक्ति.—धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे कदम उठाने के लिए सक्षम होगा जो किसी भी सम्पत्ति से कोई भी लेखन मिटाने, उसे विरूपण मुक्त करने या कोई भी चिह्न हटाने के लिए आवश्यक हों।

8. अपराध का शमन करने की शक्ति.—नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे

निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, किसी भी अभियोजन को प्रत्याहृत करने, या किये गये किसी भी अपराध का शमन करने के लिए सक्षम होगा।

9. संरक्षण.—सरकार, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक या लोकहित में की गयी या की जाने के लिए आशयित है।

10. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

11. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

12. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।